

18

पत्र सं०-विधि-MIS माड्यूल/नोडल ऑफीसर/2022-23/

५५४

//राज्य कर।

कार्यालय:-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 सितम्बर, 2022

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि राज्य कर विभाग के अनेक कार्यालयों द्वारा जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित रूप पत्र GSTR-7 फाइल नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः, एतद्द्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्यालयों द्वारा अब तक GSTR-7 दाखिल नहीं किये गये हैं, वे 01 सप्ताह के अन्दर इन्हें नियमानुसार दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

६०/-

(मिनिस्ती एस०)

आयुक्त,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

६०/-  
(विवेक आर्य)

संयुक्त आयुक्त (विधि) राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।

29/09/2022

2783